Vendors (Fad) Distribution Scam in Faridabad

***743. Shri Neeraj Sharma, M.L.A.:** Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state—

(a) the action taken by the Government in the vendors (Fad) distribution scam caught in Dabua Vegetable Market, Faridabad; and

(b) the reasons for which vendors distribution has not been cancelled so far togetherwith the details thereof?

JAI PARKASH DALAL, AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE MINISTER, HARYANA.

(a) The concerned Secretary-cum-EO, Market Committee, Faridabad was suspended on 08.11.2019 and disciplinary action for major penalty issued under Rule-7 of the Haryana Civil Services (Punishment & Appeal) Rules, 2016 for not complying with the guidelines of allotment policy dated 25.09.2018 while allotment of space/ sites to the Mashakhors. He has been reinstated on 07.10.2020;

(b) The vendors distribution has not been cancelled because some of the allottees had filed writ petitions before Hon'ble High Court and the matter is sub-judice.

फरीदाबाद में वैण्डर (फड़) वितरण घोटाला

***743. श्री नीरज शर्मा, एम.एल.ए.:** क्या कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे कि :–

(क) दाबुआ सब्जी मार्केट, फरीदाबाद में पकड़े गए वैण्डर (फड़) वितरण घोटाले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई; तथा

(ख) वैण्डर वितरण रद्द नहीं किये जाने के कारण क्या हैं तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

जय प्रकाश दलाल, कृषि और किसान कल्याण मंत्री, हरियाणा

(क) सम्बन्धित सचिव–कम–कार्यकारी अधिकारी, मार्किट कमेटी फरीदाबाद द्वारा वैण्डरों को स्थान वितरण करने संबधी पालिसी दिनांक 25.09.2018 के दिशा निर्देशों का पालन न करने के कारण 08.11.2019 को निलंबित कर दिया गया तथा उसको कठोर दण्ड देने के लिए हरियाणा सिविल सेवाएं (दंड एवं अपील) नियम, 2016 की धारा–7 के अन्तर्गत चार्जशीट जारी की गई। उसे 07.10.2020 को बहाल कर दिया गया ।

(ख) वैण्डरों को स्थान वितरण करने का निर्णय निरस्त नहीं किया गया क्योकि कुछ ॲलाटियों नें माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी थी और यह मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है ।